

प्रेषक,

डा० अनिता भटनागर जैन,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उ०प्र० लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 07 अप्रैल, 2017

विषय:- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शुल्क निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 (1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों हेतु फीस नियमन के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-2808/16-1-2014-5(डब्ल्यू-48), दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2- उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:-

10-(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय

(पाँच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

3- उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) के बिन्दु-“छः” में उल्लिखित अन्य सुसंगत कारकों के अन्तर्गत शुल्क नियमन समिति द्वारा निम्नलिखित आधारों को संज्ञान में लिया गया :-

1) आर्थिक उपयोगी जीवन (Usefull Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही मेडिकल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।

2) वर्ष 2015-16 के Audited Balance Sheet आधार पर वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 का आंकलन 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाना

औचित्यपूर्ण पाया गया। तदनुसार Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की फीस का निर्धारण किया जाना उचित होगा। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्ते आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।

3) Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।

4) जहाँ UG & PG Courses दोनों संचालित हैं एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहाँ व्यय 70:30 UG:PG का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।

5) समिति द्वारा विचारोपरांत यह विनिश्चय किया गया कि भविष्य में बढ़ती महंगाई के कारण होने वाले सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढाँचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित Inflation की दर के आधार पर 07 प्रतिशत के हिसाब से आगामी 02 वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया।

6) समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढाँचे में करना औचित्यपूर्ण माना गया।

7) निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों के प्रतिनिधियों द्वारा यह मांग की गयी कि क्लीनिकल/नान-क्लीनिकल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क का निर्धारण अलग-अलग किया जाय। तदनुसार क्लीनिकल : नान-क्लीनिकल : 70 : 30 के अनुपात के आधार पर सीटों की गणना कर शुल्क निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया जाय।

4— उक्त अधिनियम 2006 की धारा-10(2) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से फीस नियमन समिति की आयोजित बैठकों में सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बैठकों में उपस्थित सम्बन्धित संस्था के प्रतिनिधि के साथ शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

5— अतः अधिनियम 2006 की धारा-10(1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा अन्य सुसंगत आधारों/मानदण्डों के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को छोड़कर निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित कालेजों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/ बैलेन्स शीट के आधार पर मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को क्लीनिकल/नान क्लीनिकल में वर्गीकृत करते हुए शुल्क निर्धारित किये जाने की संस्तुति समिति के कार्यवृत्त दिनांक 31.03.2017 में की गयी।

6— फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के निम्नलिखित मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित संस्थाओं के सम्मुख अंकित शुल्क एतद् द्वारा निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्र०सं | संस्था का नाम                                             | अवधि/शैक्षणिक सत्र, जिसके लिए शुल्क निर्धारित की जा रही है। | निर्धारित अधिकतम शुल्क प्रतिछात्र प्रतिवर्ष |                             |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|        |                                                           |                                                             | क्लीनिकल                                    | नान-क्लीनिकल/पीओजीओडिप्लोमा |
| 1      | सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हापुड़।            | 2017-18 एवं 2018-19                                         | 15,94,700.00                                | 8,58,700.00                 |
| 2      | रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज, बरेली                             | 2017-18 एवं 2018-19                                         | 18,48,000.00                                | 9,95,100.00                 |
| 3      | हिन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, साइंसेज, सफेदाबाद, बाराबंकी। | 2017-18 एवं 2018-19                                         | NA                                          | 10,93,800.00                |
| 4      | रामा मेडिकल कालेज, कानपुर                                 | 2017-18 एवं 2018-19                                         | NA                                          | 11,03,400.00                |
| 5      | श्री राममूर्ति मेडिकल कालेज, बरेली                        | 2017-18 एवं 2018-19                                         | 20,70,300.00                                | 11,14,800.00                |
| 6      | मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर।                      | 2017-18 एवं 2018-19                                         | 18,92,800.00                                | 10,19,200.00                |
| 7 *    | सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ                                | 2017-18                                                     | 15,94,700.00                                | 8,58,700.00                 |
| 8 *    | स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा           | 2017-18                                                     | 15,94,700.00                                | 8,58,700.00                 |

\* सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ एवं स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा द्वारा शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव/सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसलिए फीस नियमन समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शुल्क निर्धारण हेतु जिन मेडिकल कालेजों द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये हैं, उनमें से जो न्यूनतम शुल्क आंकलित की गयी है, वही शुल्क प्रश्नगत दोनों मेडिकल कालेजों हेतु एक वर्ष (सत्र 2017-18) के लिए निर्धारित किया जाय। तदनुसार समिति की संस्तुतियों के आधार पर उक्त क्रमांक-7 एवं 8 पर उल्लिखित मेडिकल कालेजों की शुल्क का निर्धारण किया गया है।

उक्त क्रमांक-8 पर उल्लिखित स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा की उक्तानुसार निर्धारित शुल्क रिट याचिका संख्या-4796/2017 शारदा यूनिवर्सिटी बनाम उओप्र0 राज्य व अन्य में माओ उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच लखनऊ द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

7- उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं। सम्बन्धित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है।

8- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उओप्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट <http://upmededu.in> पर प्रदर्शित

की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब-साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। शुल्क निर्धारण सम्बन्धी प्रश्नगत आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाय।

भवदीया,

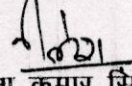
( डा0 अनिता भटनागर जैन )  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1083(1)/71-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बार्समण्डी चौराहा, लखनऊ।
6. सगरत प्रबंधक/प्रधानाचार्य, सम्बन्धित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0 उ0प्र0, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(नीलेश कुमार सिंह )  
अनु सचिव।